

म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

पंचम तल, मैट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, भोपाल – 462 016

Notified on 25/06/2010

भोपाल, दिनांक 14 जून, 2010

क्रमांक 1548/म.प्र.विनिआ/2010. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 (1) तथा 181 (2) (एक्स) सहपठित धारा 50 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा विभिन्न हितधारकों की कठिनाईयों को दूर किये जाने की दृष्टि से मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा अधिसूचना क्रमांक 861 दिनांक 27.03.2004 द्वारा मूल रूप से जारी तथा दिनांक 16.4.2004 को प्रकाशित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता में निम्नानुसार संशोधन करता है :-

मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में सत्रहवां संशोधन

- (i) संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ : यह संहिता "मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता (सत्रहवां संशोधन) [क्रमांक एजी – (xvii), वर्ष 2010]" कहीं जाएगी ।
- (ii) यह संहिता मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र में प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होगी ।
- (iii) इस संहिता का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा ।

2. संहिता के अध्याय 3 में संशोधन :

मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में जिसे एतद् पश्चात् प्रधान संहिता कहा जाएगा, अध्याय 3 की कण्डिका 3.4 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"3.4 विभिन्न संविदा मांग हेतु सामान्यतः विद्युत आपूर्ति वोल्टेज निम्नानुसार होगी :

विद्युत आपूर्ति की वोल्टेज	न्यूनतम संविदा मांग	उच्चतम संविदा मांग
230 वोल्ट	—	3 किलोवॉट
400 वोल्ट	2 किलोवॉट से अधिक	75 किलोवॉट (संयोजित भार 150 अश्व शक्ति तक, इसे सम्मिलित कर होगा)
11 केव्ही	50 केवीए	300 केवीए
33 केव्ही	100 केवीए	10,000 केवीए
132 केव्ही	5000 केवीए	50000 केवीए
220 केव्ही	40000 केवीए	

बशर्ते यह कि तकनीकी कारणों से, उपरोक्त न्यूनतम तथा उच्चतम संविदा मांग, आयोग के विशिष्ट अनुमोदन उपरान्त, अनुज्ञेय की जा सकेगी । तथापि, रेलवे के प्रकरण में उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विभिन्न वोल्टेज के स्तरों पर, संविदा मांग की उच्चतम तथा न्यूनतम सीमाएं, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वास्तविक आवश्यकता तथा व्यावहारिकता पर निर्भर परस्पर अनुबंध के आधार पर शिथिल की जा सकेंगी ।”

3. संहिता के अध्याय 7 में संशोधन :

प्रधान संहिता के अध्याय 7 की कण्डिका 7.9, 7.10, 7.11, 7.12 तथा 7.14 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

“7.9 यदि उपभोक्ता इच्छुक हो तो अनुबंध प्रारंभ किये जाने की तिथि से प्रथम छः माह के अन्दर अथवा इस संशोधन की अधिसूचना की तिथि से तीन माह के अन्दर, इनमें से जो भी तिथि बाद में हो संविदा मांग में एक ही बार कमी को अनुज्ञेय किया जा सकेगा । संविदा मांग में कमी, संविदा मांग (जो आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदित की गई हो) के 50% (पचास प्रतिशत) तक सीमित की जा सकेगी, बशर्ते यह कि कम की गई संविदा मांग इस संहिता के अध्याय 3 में विनिर्दिष्ट की गई विशिष्ट वोल्टेज श्रेणी के अन्तर्गत न्यूनतम संविदा मांग से कम न होगी । एक बार भुगतान किये गये विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार (Supply Affording Charges) तथा अन्य प्रयोज्य प्रभार लौटाये नहीं जाएंगे ।

7.10 संविदा मांग कम किये जाने संबंधी आवेदन संविदा मांग में परिवर्तन किये जाने संबंधी निर्धारित प्रपत्र में अनुज्ञप्तिधारी को दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा । जहां स्थापना में फेरबदल निहित है, वहां उपभोक्ता द्वारा एक सक्षम अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार से परीक्षण प्रतिवेदन (टेस्ट रिपोर्ट) प्रस्तुत किया जाएगा ।

7.11 संविदा मांग में कम किये जाने संबंधी आवेदन प्राप्त होने पर, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निम्न कदम उठाये जाएंगे :

(अ) अनुज्ञप्तिधारी आवेदन में उल्लेख किये गये कारणों पर विचार करेगा तथा आवेदन की स्वीकृति प्रदान करेगा अन्यथा आवेदन पर विचार न किये जाने पर आवेदक को तदनुसार आवेदन पर विचार न किये जाने संबंधी कारण दर्शाते हुए 15 दिवस की अवधि के भीतर लिखित में उसे सूचित करेगा ।

(ब) यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन पर उपरोक्त उल्लेखित 15 दिवस के भीतर निर्णय नहीं लिया जाता है तो उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी को लिखित नोटिस देकर उसका ध्यान आकृष्ट कर सकेगा तथा तदोपरांत भी यदि उपभोक्ता को निर्णय की संसूचना 15 दिवस के भीतर प्रदान नहीं की जाती है तो ऐसी दशा में संविदा मांग में कमी किये जाने संबंधी अनुमति प्रदान की गई मानी जाएगी ।

(स) संविदा मांग में कमी की जाना उक्त माह के उपरान्त माह की प्रथम, तिथि से प्रभावशील हो जाएगा जब संविदा मांग में कम किये जाने संबंधी निर्णय आवेदक को संसूचित किया जाता है अथवा उसे मानी गई अनुमति प्रदान की जाती है ।

7.12 प्रारंभिक अनुबंध अवधि की समाप्ति के बाद, उपभोक्ता अपने स्वयं के संयोजन की संविदा मांग इस संहिता के अध्याय 3 ने विनिर्दिष्ट की गई विशिष्ट वोल्टेज श्रेणी हेतु न्यूनतम संविदा मांग तक कम किये जाने बाबत अधिकृत होगा तथा इस प्रकार किया गया अनुरोध समस्त औपचारिकताएं जैसे कि अनुबंध का निष्पादन, आदि पूर्ण किये जाने की तिथि से प्रभावशील हो जाएगा जिसे कि संविदा मांग किये जाने संबंधी आवेदन की प्राप्ति तिथि से 30 दिवस की अवधि के अन्दर पूर्ण कर लिया जाएगा । संविदा मांग में कमी किये जाने हेतु अनुवर्ती मांग संविदा मांग में की गई कमी की जाने की तिथि से न्यूनतम एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद भी अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तुत की जा सकती है । संविदा मांग में कमी किये जाने संबंधी अनुरोध को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जाएगा कि उक्त संयोजन के विरुद्ध बकाया राशि का भुगतान किया जाना लंबित है ।

7.14 जब अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संविदा मांग में कमी किये जाने को स्वीकृति प्रदाय कर दी जाती है अथवा मानी गई अनुमति स्वीकार कर ली जाती है तो एक संपूरक अनुबंध (Supplementary Agreement) का निष्पादन किया जाएगा ।”

4. संहिता के अध्याय 4 में संशोधन :

प्रधान संहिता के अध्याय 4 की कण्डिका 4.13 में, निम्न वाक्य को विलोपित किया जाएगा, अर्थात्: “आवेदन का प्रारूप परिशिष्ट-1 और परिशिष्ट-2 में दिया गया है ।”

5. संहिता के परिशिष्ट में संशोधन :

प्रधान संहिता में परिशिष्ट-1 तथा परिशिष्ट-2 को संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

आयोग के आदेशानुसार

(पी.के. चतुर्वेदी)
आयोग सचिव

आवेदन प्रपत्र - उच्च दाब/निम्न दाब विद्युत संयोजन हेतु

नवीन विद्युत संयोजन/परिसर का परिवर्तन/संविदा मांग में परिवर्तन/
टैरिफ श्रेणी में परिवर्तन/उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन
(जो संबंधित न हो, उसे कृपया काट दें)

प्रति,

<p>पासपोर्ट आकार का फोटो</p> <p>यहां चिपकाए</p>

महोदय,

मैं/हम, मेरे/ हमारे परिसर के विद्युत संयोजन हेतु आवेदन करता हूँ /करते हैं । आवश्यक जानकारी निम्नलिखित है :-

1. उपभोक्ता

(अ) आवेदक /संस्था का नाम : -----

(ब) पिता/पति/संचालक/साझीदार/ : -----

न्यासी का नाम

(स) परिसर का पूर्ण पता (पिन दर्शाते हुए) : -----

जहाँ विद्युत संयोजन के लिए आवेदन : -----

किया जाना है याजहाँ परिवर्तन : -----

प्रस्तावित है ।

दूरभाष क्रमांक : -----

(i) कारखाना/परिसर : -----

(ii) पंजीकृत कार्यालय (डाक पता सहित) : -----

(iii) निवास (डाक पता) : -----

ई-मेल : -----

बैंक खाता क्रमांक तथा बैंक का नाम (ऐच्छिक) : -----

विद्यमान स्वीकृत भार/संविदा मांग, यदि कोई हो : ----- (उच्च दाब/निम्न दाब)

सेवा संयोजन क्रमांक (विद्यमान संयोजन हेतु) : -----

निम्न दाब प्रदाय :

2. परिसर का निर्मित क्षेत्रफल/प्लॉट का क्षेत्रफल :-----
3. विद्युत आपूर्ति की श्रेणी(श्रेणियों की सूची संलग्न है) -----
4. विद्युत आपूर्ति का उद्देश्य(उप श्रेणियों की सूची संलग्न है) -----
5. विद्युत आपूर्ति का प्रकार : स्थायी/अस्थायी
(जो लागू हो उसे टिक करें और जो लागू न हो उसे काटें)
यदि अस्थायी है तो अवधि लिखें :-दिनांक ----- से ----- तक
6. प्रस्तावित भार
(अ) घरेलू उपभोक्ताओं के लिए-----वॉट
(कृपया संयोजित भार की गणना के लिए प्रपत्र संलग्न करें)
(ब) अन्य श्रेणियों के उपभोक्ता (घरेलू को छोड़कर) निम्न सारणी में विवरण भरें
(यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षर करके सूची अलग से दी जावे)

उपकरण	विद्युत भार प्रति उपकरण(वॉट में)	संख्या	कुल विद्युत भार (वॉट में)

उच्च दाब प्रदाय :

7. वोल्टेज जिस पर विद्युत संयोजन चाहिए (के.वी.) :-

11 के.वी.	33 के.वी.	132 के.वी.	220 के.वी.
-----------	-----------	------------	------------

8. विद्युत संयोजन का प्रकार : स्थायी/अस्थायी
(जो संबंधित न हो उसे काट दें और संबंधित हो उस पर टिक लगायें)
यदि अस्थायी हो तो अवधि दर्शायें दिनांक ----- से ----- तक
9. आवेदक द्वारा अधिष्ठापन की स्थापना हेतु अब तक उठाये गये कदम
(अ) -----
(ब) -----
(स) -----
(द) -----
10. आवेदित संविदा मांग के प्रक्षेपण का आधार
(अ) अनुमानित विविधकरण कारक : -----
(अनुमानित डायवरसिटी फैक्टर)
(ब) कुल संबद्ध भार : -----
मशीनों की सूची संलग्न करें

11. क्या संयोजन को विभिन्न चरणों में लिये जाने की आवश्यकता है : -----

12. संविदा मांग के चरण : -----

क्रमांक	आवश्यक संविदा मांग (के.वी.ए.)	संभावित दिनांक जब से आवश्यकता है।	टिप्पणी

13. अधिष्ठापन का प्रयोजन : -----

14. टैरिफ की चयनित श्रेणी : -----
(टैरिफ आदेश के अनुसार)

15. उद्योग की उत्पादन क्षमता अथवा उत्पादन की संभावित तिथि : -----

16. उद्योग की श्रेणी : लघु/ मध्यम/ वृहद्
(जो संबंधित न हो उसे काट दें और जो संबंधित हो उसे दर्शायें)

17. भूमि के अधिग्रहण की स्थिति : -----
(स्वामित्व का प्रमाण तथा वैधानिक स्वीकृतियां प्रस्तुत करें)

18. अनुमानित दिनांक जब तक आर्थिक प्रबंध प्राप्त हो जाएगा । : -----

19. क्या म.प्र. राज्य प्रदूषण निवारण मण्डल, भोपाल से वैधानिक आवश्यकतानुसार, आवश्यक अनुज्ञा/ अनापत्ति (जहाँ आवश्यक हो) प्राप्त की है । (यदि हां तो प्रति संलग्न करें) : -----

समस्त उपभोक्ताओं हेतु :

20. क्या अनुज्ञापिधारी के क्षेत्रान्तर्गत आवेदक के नाम पर कोई विद्युत बकाया राशि है । : हाँ/ नहीं

21. क्या इस परिसर पर कोई बकाया राशि है जहाँ विद्युत संयोजन हेतु आवेदन दिया है । : हाँ/ नहीं

22. क्या ऐसी किसी संस्था, आवेदक जिसका स्वामी, साझीदार, संचालक या प्रबंध संचालक है, पर अनुज्ञापिधारी के क्षेत्रान्तर्गत कोई विद्युत बकाया राशि है । : हाँ / नहीं
(क्रमांक 20, 21 एवं 22 के लिए यदि "हाँ" हो तो कृपया विवरण दें)

23. मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि

(अ) उपरोक्त प्रपत्र में दिया गया विवरण मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य है।

(ब) मैं/हम ने म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता के विषय-वस्तु को पढ़ लिया है एवं उसमें उल्लिखित शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं ।

(स) मैं/हम विद्युत टैरिफ व अन्य चार्जस के आधार पर (जो भी लागू हो) विद्युत बिलों की बकाया राशि का भुगतान प्रति माह करूँगा/करेंगे ।

(द) मैं/हम मीटर, कट आउट एवं उसके बाद की संस्थापना की प्रतिभूति एवं सुरक्षा लेने की जिम्मेदारी लेता हूँ/लेते हैं ।

दिनांक :

(आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

स्थान :

नोट :- आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न करें :-

1. परिसर के स्वामित्व का प्रमाण ।
2. प्लांट/कार्यालय के प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित विद्युत प्रदाय के बिन्दु को दर्शाता हुआ नक्शा। नक्शे का माप उच्च दाब संयोजन हेतु सामान्यतः 1 से.मी.= 1200 से.मी. के अनुपात में होना चाहिए।
3. यदि आवश्यक हो तो वैधानिक अधिकारी से लायसेंस/अनापत्ति प्रमाण पत्र या आवेदक का घोषणा-पत्र कि उसके कनेक्शन के लिये किसी प्रकार की वैधानिक अनुमति की आवश्यकता नहीं है ।
4. आवेदक यदि स्वयं की संस्था के लिये विद्युत संयोजन चाहता है तो एक शपथ पत्र जिसमें यह उल्लेखित हो कि वह उस संस्था का स्वयं मालिक है ।
5. साझेदारी संस्था के मामले में साझेदारी संबंधी दस्तावेज ।
6. मर्यादित (लिमिटेड) कंपनी के मामले में समझौता पत्र तथा अनुच्छेद एशोसियेशन एवं निगम की प्रति (मेमोरण्डम एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एवं सर्टिफिकेट ऑफ इनकार्पोरेशन)।
7. आवेदक के स्थायी निवास के पते का प्रमाण एवं आवेदक का आयकर का स्थायी लेखा क्र. (पीएएन नंबर), यदि कोई हो । स्थायी निवास के पते में भविष्य में यदि कोई बदलाव होता है तो आवेदक अनुज्ञप्तिधारी को तदनुसार सूचित करेगा ।
8. औद्योगिक संयोजन हेतु, उत्पादन/उत्पादन में बढ़ोत्तरी के लिए लैटर ऑफ इन्टैंट ।
9. प्रस्तावित उपकरणों की अनुमानित भार सहित सूची ।
10. जहां संयोजन फर्म, लिमिटेड/प्रायवेट लिमिटेड फर्म, कम्पनी आदि के नाम से, के संबंध में प्राधिकार के संबंध में प्रस्ताव ।
11. उद्योग विभाग से रजिस्ट्रेशन, जहां यह लागू हो ।
12. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का वह भाग, जो उद्योग के विद्युत आवश्यकताओं तथा उत्पादन की प्रक्रिया से संबंधित हो (उद्योगों के प्रकरण में) ।
13. टैरिफ आदेश के संबंधित अनुभाग की प्रति, जिसको उपभोक्ता द्वारा चयनित कर हस्ताक्षरित किया हो । इसे औपचारिकताएँ पूर्ण होने पर अनुबंध का हिस्सा मानते हुए अनुबंध के परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया जावेगा ।